न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 70/2022
रजिस्ट्रेशन नं. :2022/78

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)

बनाम

अभियुक्त :–

1. छगन पुत्र श्री कालूजी यादव मैसर्स – सीयाराम ट्रेडर्स, रामदेव मन्दिर के पास घोडी तेजपुर रोड, दानपुर, तहसील– छोटी सरवन, बांसवाडा
2. Pramod s/o Shri Rajmalji Bobra m/s - Shubham Agencies, Agarpura Near Eant Bhatta Colony, Banswara
3. Ashok Kumar Kothari m/s Maha Laxmi Trading Company, 23 Tel Bazar, Dhan Mandi Udaipur - 313001
4. Ratan Singh Solanki m/s - Shree Madhur Dairy Farm & Food Product Near AVVNL GSS Greed Station, Amberi Udaipur- 313001

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 19–12–2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा हाल सिरोही (राज.) के द्वारा दिनांक 25–11–2022 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 28–03–2022 को 03.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु **मैसर्स सीयाराम ट्रेडर्स, रामदेव मंदिर के पास, घोडी तेजपुर रोड, दानपुर, बॉसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **छगन पुत्र श्री कालूजी यादव** उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर **Ghee (Madhya)** के 15 पैक पैकेट 500 – 500 एम.एल के आम जनता को विक्रय हेतु [illegible] में मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उप[illegible] पर [illegible]ना देते हुए **Ghee (Madhya)** के 4 पैक पैकेट वा[illegible]दा तथा इनकी कीम[illegible] रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर [illegible]क्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **Ghee (Madhya)** के 4 पैक मूल

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.01.05 12:51:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner

पैकेट को नियमानुसार सील बन्द किया। उक्त नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/168–169 दिनांक 27–04–2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 445 दिनांक 12–04–2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Ghee (Madhya)** का नमुना Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **सब स्टेण्डर्ड Ghee (Madhya)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 29–11–2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 19.12.2022 को अप्रार्थीगणो ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना तथा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उसका मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/168–169 दिनांक 27–04–2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 445 दिनांक 12–04–2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Ghee (Madhya)** का नमुना Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **सब स्टेण्डर्ड Ghee (Madhya)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। प्रकरण में अभियुक्तगणो द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.01.05 12:51:55 IST
Reason: SelfAttested

अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तार किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत स स्टेण्डर्ड पाये गए **Ghee (Madhya)** को विक्रय करके विक्रेता ने खाद्य सुरक्षा एवं मानव अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। आरोपीगणो को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **छगन पुत्र श्री कालूजी यादव मैसर्स – सीयाराम ट्रेडर्स, रामदेव मन्दिर के पास धोडी तेजपुर रोड, दानपुर, तहसील– छोटी सरवन, बांसवाडा** को रूपये 10,000/– (अक्षरे रू दस हजार मात्र), **Pramod s/o Shri Rajmalji Bobra m/s - Shubham Agencies, Agarpura Near Eant Bhatta Colony, Banswara** को रूपये 20,000/– (अक्षरे रू बीस हजार मात्र), **Ashok Kumar Kothari m/s Maha Laxmi Trading Company, 23 Tel Bazar, Dhan Mandi Udaipur - 313001** को रूपये 30,000/– (अक्षरे रू तीस हजार मात्र), **Ratan Singh Solanki m/s - Shree Madhur Dairy Farm & Food Product Near AVVNL GSS Greed Station, Amberi Udaipur- 313001** को रूपये 40,000/– (अक्षरे रू चालीस हजार मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–[illegible] नून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2022 खुले न्यायालय सुनाया गया।

19/12

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.01.05 12:51:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner